ई-मेल का पता
olgc-ppqs@gov.in

टेलीफोन/Telephone: 0129-2476333

मिसिल सं./F.N.- ई-12013/1/2021-रा.भा.

भारत सरकार/Government of India

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग/Department of Agriculture & Farmers Welfare

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय

Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage

एन.एच.4, फरीदाबाद-121001(हरियाणा)/N.H.-IV, Faridabad-121001

दिनांक/Dated: 06 सितम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- निदेशालय (मुख्यालय) एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन- नकद पुरस्कारों की राशि में संशोधन।

निदेशालय (मुख्यालय) एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में मनाए जाने वाले हिंदी सप्ताह/हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं और उनमें भाग लेने वाले सफल प्रतियोगियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रभावी होगा:-

निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं की संख्या :

कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या	आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं की संख्या
05 से 10	01
11 से 25	02
26 से 50	03
51 और इससे अधिक	04

पुरस्कारों की संख्या: प्रत्येक प्रतियोगिता में पुरस्कारों की संख्या निम्नानुसार होगी:-

प्रत्येक प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतियोगियों की संख्या	पुरस्कारों की कुल संख्या
न्यूनतम 06	03 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय)
07-09	04 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं एक प्रोत्साहन पुरस्कार)
10-14	05 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं दो प्रोत्साहन पुरस्कार)
15 या 15 से अधिक प्रतियोगी	06 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं तीन प्रोत्साहन पुरस्कार)

जारी/-...........

<u>**पुरस्कारों की धनराशि :**</u> उपर्युक्त पुरस्कारों की धनराशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है :

पुरस्कार	**धनराशि (रूपये में)**
प्रथम पुरस्कार	4000/-
द्वितीय पुरस्कार	3000/-
तृतीय पुरस्कार	2000/-
प्रोत्साहन	1500/- (प्रत्येक)

1. किसी भी प्रतियोगिता में प्रतियोगियों की संख्या 06 से कम नहीं होनी चाहिए ।
2. सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के पात्र होंगे ।
3. पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी को कम से कम 30% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे ।
4. प्रतियोगिताओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी दूसरी कार्यालय के हिन्दी का ज्ञान रखने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराया जाना चाहिए ।

अधीनस्थ कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी प्रतियोगिताओं के आयोजन के बाद पुरस्कारों की स्वीकृति निदेशालय (मुख्यालय) से प्राप्त करेंगे। प्रतियोगिताओं के दौरान होने वाले अन्य फुटकर व्यय कार्यालय प्रभारी कार्यालय व्यय से नियमानुसार करेंगे जो उनके अधिकार क्षेत्र में है ।

<u>**महत्वपूर्ण: मुख्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या तथा भाग लेने वाले प्रतियोगियों की संख्या अवश्य बताई जाए।**</u>

कृपया इस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

तदनुसार इस संबंध में निदेशालय (मुख्यालय) का दिनांक 16 दिसंबर, 2013 का कार्यालय ज्ञापन सं.-ई-11018/2/2002-राजभाषा संशोधित समझा जाए ।

इसे वनस्पति संरक्षण सलाहकार के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

06/09/21

(राज कुमार शर्मा)
उप निदेशक (राजभाषा)

प्रेषित:-

1. निदेशालय (मु.) के सभी अनुभाग/प्रभाग/एकक ।
2. निदेशालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी ।

<u>**प्रतिलिपि सूचनार्थ:-**</u>

1. अ.व.सं. सलाहकार (के.की. प्रयोगशाला)/सचिव, के.की. बोर्ड एवं पंजी. समिति/संयुक्त निदेशक (वनस्पति संगरोध)/संयुक्त निदेशक (ए.ना.प्र.)/संयुक्त निदेशक (टिड्डी नियंत्रण) ।
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, फरीदाबाद ।
3. अवर सचिव (मु.), फरीदाबाद ।
4. वनस्पति संरक्षण सलाहकार के सूचनार्थ उनके प्रधान निजी सचिव को ।
5. प्रभारी आई.टी. सेल को इस कार्यालय ज्ञापन को निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

DD(OL)/Hindi day/Hindi day (Hq.)